बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि २३ सितम्बर, १९५३ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३० के सम्बन्ध में।

श्री महेश प्रसाद सिंह—इसका उत्तर तैयार नहीं है।

श्री मुद्रिका सिंह—हुजूर, यह सवाल दो दिनों से चला आ रहा है। यह तो लोकल सवाल है और आपकी इजाजत लेकर मैंने इसको पुट किया था।

श्री महेश प्रसाद सिंह—इसमें कुछ टेकनिकल मैटर है, इस पर जब तक पक्की बात एक्सपर्ट ओपिनियन के जरिये न मिल जाय तब तक गलत बयान आपके सामने कैसे कर दूं।

मिश्री राम का बस परमिट।

३२। श्री गोखुल महरा—क्या मंत्री, यातायात विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मिश्री राम, गोड्डा को बस लाइसेंस कब मिली और इन दिनों उनकी बस चालू है कि नहीं;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिलान्तर्गत कुछ लोगों की कई बसें चला करती है, परन्तु उन हरिजनों को बार-बार कठिन परिश्रम करने पर भी लाइसेंस नहीं दी जा रही है;

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में उन्हें बस लाइसेंस देना चाहती है?

श्री पुरुषोतम चौहान—मैं जानना चाहता हूं कि रिजिनल ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी की मिटिंग में परमिट के लिये जो दर्खास्त देने वाला है उसकी तरफ से दूसरा कोई आदमी वहां हाजिर हो सकता है या नहीं।

श्री महेश प्रसाद सिंह—उनकी तरफ से उनके साथ वकील और दूसरे लोग भी हाजिर हो सकते हैं।

श्री राम रतन राम—उनको परमिट क्यों नहीं दिया गया इस पर सरकार जांच करे।

श्री महेश प्रसाद सिंह—यह परमिट एक शरणार्थी को मिला।

DEATH OF AN ASSISTANT PUBLIC PROSECUTOR.

59. **Shri NAND KISHORE NARAIN :** Will the Minister in charge of the Medical Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that one Shri Suraj Prasad Rai, Vakil and Assistant Public Prosecutor, Gopalganj, Saran got himself examined by Dr. Nawab of the Patna Medical College Hospital who got him admitted and operated upon him and removed six ribs of his back in Popular Nursing Home on 8th September, 1953 at 2 P.M. instead of the Patna Medical Hospital without collecting blood and arranging for transfusion ;

(*b*) whether it is a fact that the doctor next attended the patient after operation after six hours at 8 P.M. when he found his condition serious and realised the mistake of not transfusing blood and removed him to ward no. S. S. 2 under him to open the operation ;

(*c*) whether it is a fact that the patient due to the negligence of the doctor in not transfusing blood died at 7-30 P.M. on 9th September, 1953 in Ward no. S. S. 2 ;

(*d*) if the answers to clauses (*a*) to (*c*) be in the affirmative, the actions proposed to be taken against the doctor for his negligence and money earning motive in operating upon him in a nursing Home on contract against the will of the patient who came all along from the interior of Saran with his wife and a servant, only for consultation and treatment ;

(*e*) if the answers to clauses (*a*) to (*c*) are in the negative, do Government propose to consider it desirable to appoint a Judge of the Patna High Court to inquire into this incident, if not, why not ?

Shri HARINATH MISHRA : (*a*) The answer to the first part of the question is in the affirmative except that the operation was started at 3 P.M. instead of at 2 P.M. The patient could not be admitted immediately to the Patna Medical College Hospital as

Ward S. S. 2 meant for tubercular surgical cases was over-crowded, there being 56, 54 and 56 patients respectively on the 5th, 6th and 7th September although authorised bed strength for the ward is only 30. The patient got himself admitted in the Popular Nursing Home under Dr. A. K. Sen and on the latter's request and on the patient's insistence the operation was performed by Dr. Nawab in the Popular Nursing Home. At the time that he was operated upon, blood transfusion was not indicated.

(*b*) From a report received from Dr. Nawab it appears that after the operation was completed at 4-30 P.M. the patient was removed to his Cabin in the Popular Nursing Home and Dr. Nawab left him only after 5-30 P.M. when he, his assistant and *anaesthetist* were fully satisfied that his condition was satisfactory. At 6-30 P.M. he again visited the patient even without being called and a further visit was paid to the patient at about 7-30 P.M. when it was found that blood transfusion was necessary and thereupon Dr. Nawab advised the patient's immediate transfer to the hospital and the wound was also opened up to find out if there were any bleeding points and on finding none, the wound was closed.

(*c*) The answer is in the negative. It appears from a report of Dr. Nawab that out of over 150 *throcoplastics* done both in the Hospital and outside he had never found the necessity to use blood transfusion as an emergency. The patient died on 9th September 1953 at 8-30 P.M. inspite of blood transfusion having been made available.

(*d*) The question does not arise.

(*e*) The question does not arise.

श्री नन्द किशोर नारायण—क्या यह बात सही है कि मरीज सूरज प्रसाद राय, अस्पताल में डा० नवाब द्वारा ९ बजे सुबह में एक्जामिन किये गये और उन्होंने उनको सलाह दी थी नर्सिंग होम में जाने के लिये और अपनी गाड़ी में ले भी गये ?

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि मरीज ने खुद जोर दिया कि उनका ऐडमिशन नर्सिंग होम में हो। उसके बाद डा० ए० के० सेन जिनके वे मरीज थे उन्होंने डा० नवाब को खबर दी कि वे मरीज को नर्सिंग होम में ले जाकर उनका ओपरेशन करें।

श्री नन्द किशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह रिपोर्ट एक तरफा और मैलिशस तथा फार्स है। हमारे पास मरीज के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी और डाक्टर का कौरेसपौन्डेन्स है।

अध्यक्ष—आप को प्रश्न पूछना है या बहस करना ? आप मैलिशस और फार्स को वापस लीजिये।

श्री नन्द किशोर नारायण—मैं वापस लेता हूं।

अध्यक्ष—आप ऐसा क्यों नहीं पूछते हैं कि सरकार के पास डाक्टर नवाब के स्टेटमेन्ट के अलावे और किसी का स्टेटमेन्ट है या नहीं? आप कह सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट सही नहीं है।

श्री नन्द किशोर नारायण—मैं यही पूछता हूं।

श्री हरिनाथ मिश्र—मेरे पास डा० नवाब का स्टेटमेन्ट और मेडिकल कौलेज के सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा डाक्टर ए० के० सेन का भी जिनके वे मरीज थे, स्टेटमेन्ट है।

श्री महेश प्रसाद सिंह—मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य के पास कुछ कागजात हैं जिनके आधार पर उन्हों ने कहा है कि सरकार की रिपोर्ट द्वेषपूर्ण और मिथ्या है.....

अध्यक्ष—वह वापस ले लिया गया।

श्री महेश प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य के पास जो कागजात हैं उन्हें मंत्री जी को दे दें। उनसे जो बातचीत करना हो वह भी कर लें। तब मैं समझता हूं कि उस पर सही कार्रवाई की जा सकेगी।

अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जो इन्क्वारी हुई है वह गलत है और उनके पास इसको साबित करने का पूरा सबूत है तो आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि माननीय सदस्य अपने कागजात मिनिस्टर साहब को दिखलावें और उन्हें देखने के बाद यदि वे समझेंगे कि पुनः इन्क्वायरी की आवश्यक्ता है तो वे पुनः इन्क्वायरी करायेंगे।

SPEAKER : After hearing Government reply the hon'ble member might have said that the reply furnished by Government is not correct and if he has got any paper in support of his statement he can produce that paper and show it to the Hon'ble Minister.

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में जितने कागजात श्री नन्द किशोर बाबू के पास हैं, उन्हें आप देख लें और उनको देखने के बाद यदि आप उचित समझें कि इन्क्वायरी होनी चाहिए तो आदेश दें इन्क्वायरी करा दी जायेगी।

श्री नन्द किशोर नारायण—मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डाक्टर सेन की सलाह से उनको भर्ती किया गया तो मेरे पास डा० सेन ही का एक हस्तलिखित पत्र है जिसे मैं पढ़ देता हूं.....

Shri RAMCHARITRA SINGH : I shall say that the hon'ble minister and the hon'ble member may discuss this matter between themselves. We should not discuss it in question hour.

SPEAKER : We should leave this matter between the hon'ble member and the hon'ble Minister. But there is also the responsibility of the House and it has the right to know something of it.

Shri RAMCHARITRA SINGH : In the question hour we should not discuss these things. I, therefore, suggest that it would be better if these things are discussed between the hon'ble Minister and the hon'ble member and the hon'ble member may produce all the papers which he has in his possession.

SPEAKER : The hon'ble member says that he has got a letter written by Dr. Sen. If it is so, it may be assumed that he has got some more papers in his possession on which he can base his argument.

श्री महेश प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आज इस विषय पर पूरक प्रश्न कल के लिए स्थगित किए जायं और मिनिस्टर साहब को मौका दिया जाय कि वे इस सम्बन्ध में जो कागजात माननीय सदस्य के पास हैं उन्हें देख लें। उन कागजात को देख लेने के पश्चात् यदि वे उचित समझेंगे कि इन्क्वायरी की जरूरत है तो उसका जवाब कल के पूरक प्रश्नों में देंगे।

SPEAKER : It is a serious matter and therefore without creating a precedent of any kind I would ask the hon'ble Minister to go through the papers to be supplied by the hon'ble member. If the hon'ble member is not satisfied with the action proposed to be taken by the hon'ble Minister, the hon'ble member has got every right to come before the House tomorrow.

Shri PRABHU NATH SINGH : Sir, I rise on a point of order. This procedure will certainly create a precedent. How can it be said that it will not create a precedent ?

SPEAKER : I mean to say that this will not create a precedent for my guidance and for the guidance of the hon'ble members. I have a right to create precedents, I have also a right not to create a precedent.

श्री दारोगा प्रसाद राय—माननीय सदस्य के पास बहुत से कागजात हैं। वे टेबुल पर रख दिये जांय ताकि सदन के सदस्य यह जान सकें कि वे कितने सही हैं और इसको जान लेने के बाद उन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकें।

श्री नन्द किशोर नारायण लाल—पूरक प्रश्नों का पूछने का मुझे अधिकार है। यदि आप उनको प्रासंगिक समझें तो उन्हें पूछने का अधिकार दें और जो अप्रासंगिक समझें उन्हें न पूछने दें और उसके बाद मिनिस्टर साहब उनका जवाब दें। जिन उत्तरों के सम्बन्ध में हमें संतोष न होगा, या सदन को संतोष न होगा उनके लिए आपसे हम वादविवाद का समय मांगेंगे। इसलिए इस वक्त हमें पूरक प्रश्न पूछने दिए जांय।

श्री विनोदानन्द झा—मैं माननीय सदस्य की राय की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का वैधानिक अधिकार है और उनको यह अवसर मिलना चाहिए। उनके प्रश्न पूछने से सदन के सदस्यों को भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि वे इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें।

अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में इतना जरूर आदेश दे सकता हूं कि यह प्रश्न कल सभा के सामने जरूर आवे।

CONSTRUCTION OF SITAPURI GIRLS' M. E. SCHOOL.

86. Shri **SHITAL PRASAD BHAGAT**: Will the Education Minister be pleased to state—

(*a*) (*i*) whether it is a fact that the construction of the proposed Sitapuri Girls' M. E. School, Banka is under the consideration of Government;

(*ii*) whether it is a fact that the estimate and the plan of the above works were prepared a few years ago;

(*b*) whether it is a fact that there is only one Girls' M. E. School in the whole of the Banka subdivision;

(*c*) whether it is a fact that 3.31 acres of land has already been acquired by Government for the said school;

(*d*) whether it is a fact that the Managing Committee of the said school has already deposited Rs. 8,864 for construction in the Banka Sub-treasury under chalan no. 139, dated 20th February, 1950;

(*e*) (*i*) whether it is a fact that for the said school Government has been meeting an expenditure of Rs. 125 as house rent since April, 1951;